टेली-फैक्स: 26173775

संख्या/No : 13/1/2018/उ.नि.(टं./आ.)/4801-5500

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

हिंदी शिक्षण योजना (हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध)

HINDI TEACHING SCHEME , HINDI TYPING/STENOGRAPHY TRAINING WING

पूर्वी खंड/East Block-7, लेवल/Level-6,
आर.के. पुरम/R.K. Puram,
नई दिल्ली/New Delhi-110066
दिनांक/Dated . 15-11-2018

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)
निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,
सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम, निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि नई दिल्ली ।

विषय: हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि की दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन-फरवरी 2019

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी आशुलिपि दीर्घकालिक प्रशिक्षण का आगामी सत्र फरवरी, 2019 से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 14-15 फरवरी 2019 को होगा। "प्रवेश पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा। जबकि कक्षाएं दिनांक 18 फरवरी 2019 से आरंभ होंगी। प्रशिक्षण केंद्रों की विस्तृत जानकारी अनुलग्नक "क" में दी गयी है। कृपया प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक "ख" में दिए गए प्रपत्र में सीधे संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी को दिनांक 31-1-2019 तक भिजवाना सुनिश्चित करें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेजी जाए ।

हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण चूंकि वर्ष 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, अत: अनुरोध है कि कार्मिकों का प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी आशुलिपि
अवधि	फरवरी 2019 से जनवरी 2020 प्रतिदिन 1 घंटा, 1 वर्ष
परीक्षा	जनवरी 2020 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ आदि।

पात्रता- केवल उन्हीं अधिकारी/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

अनिवार्य:

सभी वर्गों के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु।

स्वैच्छिक :

अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों हेतु*

*हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किए जाने की संभावना है। इन कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण
अवधि	फरवरी 2019 से जुलाई 2020 में (प्रतिदिन 1 घंटा), 6 माह
परीक्षा	जुलाई के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ मिडिल (आठवी) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।

पात्रता : केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

अनिवार्य :

सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों (अवर श्रेणी लिपिकों), डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटा एंटरी ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें वर्ग "ग" के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए, जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

स्वैच्छिक:

1. वर्तमान में सहायकों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों, (उच्च श्रेणी लिपिकों) अनुवादकों तथा लेखा परीक्षकों एवं चयन ग्रेड लेखा परीक्षकों के लिए हिंदी टंकण प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, परन्तु इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।

2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/08/2017-रा.भा(प्रशि) के अनुसार अराजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि की परीक्षा 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर तथा राजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे
- परन्तु जिन अंग्रेजी आशुलिपिकों की मातृ भाषा हिंदी नहीं है उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 किमी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400 रुपए
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600 रुपए
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800 रुपए

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400 रुपए
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600 रुपए
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800 रुपए

परीक्षा शुल्क :

केंद्रीय उपक्रमों, निगमों तथा बैंकों, आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि के लिए 100/- रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम, नई दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण अनुलग्नक "क" पर दिया गया है ।
  उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक "ख"में दिए गए प्रपत्र में दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक सीधे संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेजी जाए ।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए । नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी का पत्र में स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो । प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शाई जाए ।

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में 14 फरवरी, 2019 (अनिवार्य वर्ग के लिए) तथा 15 फरवरी 2019 (स्वैच्छिक वर्ग के लिए) को प्रवेश हेतु प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) से संपर्क करना होगा ।
- इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा । अतः इस परिपत्र में दिए गए विवरण एवं कार्यक्रम के अनुसार ही उन्हें प्रवेश हेतु स्वयं संबंधित केन्द्र पर निर्धारित तिथि व समय पर संपर्क करना है ।
- संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके ।
- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय के निकट के प्रशिक्षण केन्द्र पर स्थान उपलब्ध न रहने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे सूची में दिए गए किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश के लिए भेजा जा सकता है, बशर्ते, वहां स्थान उपलब्ध हो ।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें ।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

भवदीय

राम
15-11-2018

(संत राम)
उप निदेशक (टं./आ.)
Chti 1035

<u>अनुलग्नक "क"</u>

प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक का नाम व दूरभाष	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी	प्रशिक्षण का माध्यम
1.	रामकृष्ण पुरम ईस्ट ब्लाक-2, लेवल-1, नई दिल्ली-110066	श्री चरणजीत वर्मा फोन 26186035	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
2.	रामाकृष्णपुरम ईस्ट ब्लाक-7, लेवल-6 नई दिल्ली-110066	श्री सुरेश चंद शर्मा फोन 26175246	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
3.	डाक भवन कमरा नं. 109-बी, प्रथम तल,डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	श्री बाबू राम वोहरा फोन 23036516	डाक भवन, पटेल भवन, निर्वाचन सदन,संचार भवन, कनॉट प्लेस, संसद मार्ग, तथा आसपास के सभी कार्यालय बैंक आदि	कंप्यूटर पर
4.	योजना भवन कमरा नं. 427 सी संसद मार्ग, योजना भवन, नई दिल्ली	सुश्री आशा फोन 23042529	योजना भवन, आकाशवाणी, रिजर्व बैंक, श्रम शक्ति भवन,परिवहन भवन, संसद मार्ग तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
5.	बी-ब्लाक, कमरा नं. 107, बी-ब्लाक हटमेंटस,(साउथ ब्लाक के पीछे) नई दिल्ली-110011	श्री जयवीर फोन 23014875	सेना भवन, साउथ ब्लॉक, नार्थ ब्लाक स्थित समस्त कार्यालय, राष्ट्रपति भवन,तथा आसपास हटमेंट्स में स्थित कार्यालय	कंप्यूटर पर
6.	रेल भवन कमरा नं. 564 जे रेल भवन, नई दिल्ली	श्रीमती ऊषा शर्मा फोन 23303209	रेलभवन कृषि भवन, उद्योग भवन , शास्त्री भवन, श्रम शक्ति भवन तथा आसपास के कार्यालय	कंप्यूटर पर
7.	संघ लोक सेवा आयोग अतिथिगृह भवन, भूतल, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069	श्री महेन्द्र कुमार फोन 23098591/4711	संघ लोक सेवा आयोग, लोक नायक भवन,निर्माण भवन, अकबर रोड हटमेंट्स, जामनगर हाउस, केन्द्रीय कार्यालय परिसर तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
8.	मानक भवन भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा नं.250 बहादुरशाह जफर मार्ग	श्री विभूति शरण सिन्हा फोन 23215045	मानक भवन, आयकर भवन, तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर

अनुलग्नक "ख"

नामांकन प्रपत्र

नामित कर्मचारियों का विवरण						सुविधाजनक केंद्र
प्रशिक्षण		नाम/पदनाम	दूरभाष/ई- मेल	हिंदी में योग्यता	जन्म तिथि	
टंकण	आशु.					
1	2	3	4	5	6	7

31-01-2019 को हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या
(कृपया इस कालम को अनिवार्य रूप से भरें अन्यथा आपकी रिपोर्ट शून्य समझी जाएगी)

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण	हिंदी आशुलिपि

नामित करने वाले अधिकारी का नाम...

कार्यालय का नाम व पूरा पता,.. ......

दूरभाष नं0 सहित...

पृष्ठांकन संख्या : - 13/1/2018/उ.नि.(टं./आ.)/4801-5500 दिनांक : 15-11-2018

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. सचिव (राजभाषा)/ के प्रधान निजी सचिव राजभाषा विभाग, एन डी सी सी बिल्डिंग, चौथी मंजिल, जयसिंह रोड नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा)/ के निजी सचिव राजभाषा विभाग, एन डी सी सी बिल्डिंग, नई दिल्ली।
3. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यालय , आई.टी.ओ. नई दिल्ली।
4. संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
5. भारत के निर्वाचन आयोग, अशोक रोड़, नई दिल्ली।
6. सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
8. राज्यसभा सचिवालय/लोकसभा सचिवालय।
9. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आर 12, नेहरु एन्कलेव, कालकाजी, नई दिल्ली- 110019
10. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
11. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
12. निदेशक, नीति एवं समन्वय, राजभाषा विभाग, एन डी सी सी बिल्डिंग, चौथी मंजिल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
13. तकनीकी निदेशक एन आई सी, राजभाषा विभाग, एन डी सी सी बिल्डिंग, चौथी मंजिल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
14. उपसचिव प्रशिक्षण राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।
15. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
18. उप निदेशक कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन डी सी सी बिल्डिंग, चौथी मंजिल, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली।
19. संयुक्त निदेशक हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
20. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/कोलकाता/मुंबई/चेन्नै/गुवाहाटी
21. उप निदेशक मध्योत्तर, हिंदी शिक्षण योजना, आर.के.पुरम., नई दिल्ली।
22. उप निदेशक परीक्षा, हिंदी शिक्षण योजना, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
23. समस्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।
24. निदेशक राजभाषा, डाक भवन, नई दिल्ली।
25. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक टं./आ. एवं वेबसाइट अपडेट के लिए नोडल अधिकारी

15.11.2018

(संत राम)

उप निदेशक (टं./आ.)

टेली-फैक्स: 26173775

संख्या/No : 13/1/2018/उ.नि.(टं./आ.)/ 5515

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
हिंदी शिक्षण योजना (हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध)
HINDI TEACHING SCHEME , HINDI TYPING/STENOGRAPHY TRAINING WING

पूर्वी खंड/East Block-7, लेवल/Level-6,
आर.के. पुरम/R.K. Puram,
नई दिल्ली/New Delhi-110066
दिनांक/Dated . 26-11-2018

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)
निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,
सभी मंत्रालय/विभाग/संबंद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम, निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि नई दिल्ली ।

विषय: हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि की दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन-फरवरी 2019

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15-11-2018 को जारी पत्र संख्या 13/1/2018/उ.नि.(टं/आ.)/4801-5501 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि पृष्ठ संख्या 2 पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण की अवधि फरवरी 2019 से जुलाई 2019, प्रतिदिन एक घंटा, 6 माह पढ़ी जाए ।

भवदीय

26/11/2018
(संत राम)
उप निदेशक (टं/आ.)